न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 62/2018

1–हुलास दास पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनुं जिला नागौर

..............अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज0

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज0सरकार जरिये पटवारी हल्का, सुनारी बनाम हुलास दास मु0 नं0 67/18 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील पेश है :–

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी श्री हुलास

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

दास पुत्र श्री बजरंग दास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 ने खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि गोचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली–भातिं अध्ययन एवम अवलोकन किया ,ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि पर हुलास दारा पुत्र श्री बजरंग दारा जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि हुलास दास पुत्र बजरंग दास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व मे अतिक्रमण किया जाने पर रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू मे मु0 न0 67/2018 दर्ज कर नियमानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम हुलास दास) मे अतिक्रमी माना जाकर बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रूपये का 50 गुणा जुर्माना 06 रूपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट मे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

—: अपील के आधार :—

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवंम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवंम वाक्याती भूल की है अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है तथा अपीलान्ट/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जने योग्य है।

यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है उक्त स्थान पर अपीलान्ट के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हुये है, तथा बीजली पानी के कनैक्शन भी ले रखे है, जो वर्षों पुराने है तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत, सुनारी द्वारा उक्त खसरा खसरा नम्बर 304 में आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है जिससे स्पष्ट है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार पिढियो से काबिज होकर रहवास करते आ रहे है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी मकान बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के कनैक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे है। जिससे भी अपील अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

8. यह है कि अपीलान्ट के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई रहवासीये मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र उक्त भूमि में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहॉ से अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षो की खुन पसीने की कमाई से बनाये गये रहवासीय मानात को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचें जीवनयापन करने के लिये मजबुर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध ड्रोप किया जाना न्याय हित में है।

9. यह है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक किये ही नजरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंषा की है, जो मौके पर बिना कोई भौतिक रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. यह है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

11. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

12. यह है कि अपील श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर मयाद पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा गैर मु0 गोचर पर गोबर डाल कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जुर्माना रूपये 06/- अक्षरे रूपये छः का अर्थदण्ड आरोपित किया किया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को दिया गया जवाब में बताया कि सुनवाई के बगैर निर्णय किया गया है तथा अपीलान्ट ने जवाब में बताया कि मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से बने हुये है तथा ग्राम पंचायत का पटटा बना हुआ है ।

गोचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है जिसमें धारा 16 अधिनियम के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

होते है तथा न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 9.8.18 को अपना जवाब पेश किया जो शामील पत्रावली है। तथा जवाब के साथ अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि अतिकमण नही किया हो। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)